राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

कमांक : एफ 3(2)(1) रोल/निर्वा./2016/नि. अद्यतन/ जयपुर, दिनांकः

प्रेषक : **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : **समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,**
(कलक्टर्स), राजस्थान।

विषय : निरंतर अद्यतन के दौरान 18–19 आयु वर्ग के मतदाताओं के पंजीयन हेतु विशेष अभियान **''युवा पंजीकरण महोत्सव''** दिनांक 01.02.2017 से 28.02.2017 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 18–19 आयु वर्ग की जनसंख्या राजस्थान में 4.23 प्रतिशत है जबकि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान–2017 के पश्चात उक्त आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या राजस्थान में केवल 1.05 प्रतिशत है, जो बहुत ही कम है। युवा मतदाताओं का न्यून पंजीकरण यह दर्शाता है कि आपने पुनरीक्षण अभियान के लिये कोई कार्य–योजना नहीं बनाई और न ही युवा वर्ग के पंजीकरण के लिये कोई विशेष प्रयास किये हैं। भारत निर्वाचन आयोग इसे गंभीरता से ले रहा है। विडियो कान्फ्रेंस दिनांक 23.01.2017 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 18–19 आयु वर्ग के मतदाताओं पर विशेष ध्यान देते हुए सतत् अद्यतन के दौरान 'यूवा पंजीकरण महोत्सव' मनाया जायेगा, जिसमें विधान सभा क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों एवं ऐसे सीनियर माध्यमिक विद्यालयों जिनमें छात्र संख्या अधिक हो एवं 18–19 आयु वर्ग के विधार्थी हों में मनाया जायेगा। युवा पंजीकरण महोत्सव के दौरान निम्न कार्यवाही की जानी है :–

1. दिनांक 1.02.2017 से 28.02.2017 के मध्य चयनित सीनियर माध्यमिक विद्यालय एवं प्रत्येक महाविद्यालयों में आवश्यक रूप से कैम्प आयोजित करें। इसके लिए निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा ऐसे सीनियर माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया जायेगा, जहां विधार्थियों की संख्या अधिक हो एवं उनकी आयु 18–19 वर्ष की हो। प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कैम्प के लिये एक कार्य योजना तैयार कर दिनांक 31.01.2017 तक जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आवश्यक रूप से निर्वाचन विभाग को प्रेषित करें।
2. विधान सभा क्षेत्र में आने वाले चयनित सीनियर विद्यालयों, महाविद्यालयों, आई.टी.आई. व अन्य शैक्षणिक संस्थान जहॉ 18–19 आयु वर्ग के विधार्थी अध्ययनरत हों के NSS/NCC के प्रभारी प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों के साथ जिला/उपखंड स्तर पर एक मीटिंग आयोजित की जाये जिससे इनका सहयोग इस अभियान में लिया जा सके। उक्त मीटिंग में कैम्प की तिथि निर्धारित की

जाये। युवा मतदाताओं के लिये कैम्प के दिन यदि कोई वाद–विवाद, स्लोगन, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताऐं आयोजित की जाती हैं तो उससे वातावरण निर्माण हो सकेगा। जिस प्रकार 12 जनवरी को Student Interaction कार्यक्रम रखा गया था उसी प्रकार कैम्प वाले दिन सभी विधार्थियों को पंजीकरण, मतदान व Ethical Voting के संबंध में व्याख्यान/संवाद कार्यक्रम द्वारा जानकारी दी जाये तो उससे पंजीयन का माहौल बनेगा। उस दिन निर्वाचन संबंधी प्रदर्शनी भी शिक्षण संस्थान में लगाई जा सकती है। कैम्प में CEO, Rajasthan Website पर निर्वाचन नामावली भी देखने की कार्यवाही की जाये एवं प्रपत्र 6 भरवाकर लिये जायें। इसके लिये तहसीलदार/नायब तहसीलदार, व्याख्याता एवं बूथ लेवल अधिकारियों का ग्रुप बनाया जाये जो कैम्प में पंजीयन आदि का कार्य करेंगे एवं कैम्प की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे। राजकीय village level worker (VLW) यथा पटवारी, ग्राम सेवक, आंगन बाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ANM, SHG आदि को Specific target दिया जाकर 100% Enrollment सुनिश्चित किया जावे।

3. भारत निर्वाचन आयोग ने प्रपत्र 6 का नया प्रारूप अनुमोदित किया है जो आपको प्रेषित किया जा चुका है। यदि स्टॉक में पुराने प्रपत्र शेष हों तो पहले उन्हें 15.03.2017 तक काम में लें उसके पश्चात नये प्रारूप का आवेदन पत्र छपवायें।

4. आवेदन पत्र के साथ एक रंगीन फोटो, जन्म–तिथि एवं निवास संबंधी दस्तावेजों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति ली जाये। कोई भी विधार्थी NVSP Portal पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भी भर सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् बीएलओ के द्वारा आवेदन पत्र की तुरंत जॉच करवाकर आवेदन पत्र का शीघ्र निस्तारण किया जाये एवं कैम्प लगाकर ही मतदाता फोटो पहचान पत्रों का वितरण किया जाये। इसके अतिरिक्त ई–मित्र पर भी आवेदन लिये जा सकेंगे। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाये।

5. कैम्पों के दौरान छात्राओं के पंजीयन पर विशेष ध्यान दिया जाये। युवा पंजीकरण महोत्सव अभियान में बूथ स्तरीय जागरूकता समूह, नेहरू युवा केन्द्र, स्वंय सेवी संगठन एवं RWA जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाये। अभियान के लिए पर्याप्त मात्रा में बेनर, पोस्टर आदि बनवाये जाये।

6. कैंप के दौरान कुछ आवेदन पत्र अन्य विधान सभाओं के भी हो सकते है वो भी लिये जायेंगे और कैंप समाप्ति के पश्चात संबंधित निर्वाचक पंजीयक अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित कर दिये जायेंगे।

7. सभी जिलों का 18–19 आयु वर्ग का पंजीकरण बहुत ही न्यून है। अतः सबको निर्देश दिये जाते है कि इसे राज्य स्तरीय अनुपात 4.23 प्रतिशत के बराबर करें। प्रत्येक जिले को 1 फरवरी से 28

फरवरी के मध्य अपने अनुपात में कम से कम 1 प्रतिशत तक वृद्धि करनी है। इसे आवश्यक समझें। भविष्य में यह आपके कार्य मूल्यांकन का आधार होगा।

8. कार्य योजना का Print एवं Electronic media द्वारा व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाकर इसे सफल बनाया जाये।

9. अभियान की प्रगति की समीक्षा Google Drive के माध्यम से की जावेगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को अभियान से संबंधित समस्त सूचनायें Google Drive पर Update करना सुनिश्चित करें। अभियान की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 02.03.2017 तक कार्यवाही रिपोर्ट प्रेषित करें।

भवदीया,

Sd/-

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
निर्वाचन विभाग, राज0 जयपुर।

कमांक : एफ 3(2)(1) रोल / निर्वा. / 2016 / नि. अद्यतन / 893

जयपुर, दिनांकः 27/1/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवायें।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।